[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना संख्या 70/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि.___(अ) – जबकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 ने उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 345 में यथा विनिर्दिष्ट अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले "अपरिष्कृत हीरे (औद्योगिक या गैर-औद्योगिक)" विवरण के माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है;

और जबकि, उक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 02/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें उप-शीर्षक या टैरिफ मद "7102 21, 7102 3100" (इसमें इसके बाद उक्त माल के रूप में संदर्भित।) के अंतर्गत आने वाले विवरण "सिंपली सॉन डायमंड्स" के माल को शर्त संख्या 110 के अधीन, क्रम संख्या(क्र.सं.) 345क, कि " यदि आयातकर्त्ता सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है, जैसा भी मामला हो, किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) के तहत जारी एक प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करते हुए कि आयातित सामान हीरे हैं, इसमें केवल कटाई के आगे कोई काम नहीं किया गया है", *को अंतःस्थापित करके* 2 फरवरी, 2022 से शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई थी;

और जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 1 जुलाई, 2017 से 1 फरवरी, 2022 की अवधि के दौरान भारत में आयात किए गए उक्त सामानों पर अधिसूचना सं. 50/2017 सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के गैर-उद्ग्रहण के संबंध में आमतौर पर एक प्रथा प्रचलित थी;

अतः अब, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क का पूरा शुल्क, उक्त अधिसूचना के साथ पठित, तो उक्त माल के आयात पर देय, यदि कोई हो, 1 जुलाई, 2017 से 1 फरवरी, 2022 की अवधि के दौरान, लेकिन उक्त प्रथा के लिए, उक्त माल के आयात के संबंध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[संख्या 450/269/2022-सीमा शुल्क IV]

(संजीत कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार